भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1057

(जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के संबंध में सीएसआर पहलें

1057. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के संबंध में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहलों का लाभ उठाने से समुदाय आधारित ऊर्जा-दक्षता कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों और नई ऊर्जा-दक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) हेतु सहायता पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): सीएसआर का सिद्धांत सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण कारपोरेट्स की प्रबंधकीय दक्षता, सर्वोत्तम प्रथाओं, प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाकर देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में कॉर्पोरेट्स को भागीदार के रूप में शामिल करना है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा 135, प्रत्येक कंपनी को जिसकी तत्काल पूर्ववर्ती द्वितीय वर्ष के दौरान निवल संपत्ति 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर है, या 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ है, उसे कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर के रूप में व्यय करने के लिए अधिदेशित करती है।

अनुसूची VII में उन कार्यकलापों की सूची दी गई है जिन्हें कंपनियां अपनी सीएसआर नीतियों में शामिल कर सकती हैं अधिनियम की अनुसूची VII की मद संख्या (iv) का पाठ इस प्रकार है "*पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और जल की गुणवत्ता बनाए रखना, जिसमें गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ गंगा कोष' में योगदान देना शामिल है*"

.....जारी/-

अधिनियम की अनुसूची VII की मद संख्या (ix) का पाठ इस प्रकार है;

(क) *"केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्तपोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान";* और

(ख) *"सार्वजनिक वित्तपोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकाय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), फार्मास्यूटिकल्स विभाग, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकाय, अर्थात् रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) में योगदान, जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान करने में लगे हुए हैं।"*

प्रत्येक अधिदेशित कंपनी को एक सीएसआर समिति का गठन करना होता है। समिति सीएसआर नीति तैयार करेगी और उसकी अनुशंसा करेगी, जो अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्र या विषय में कंपनी द्वारा की जाने वाले कार्यकलापों को इंगित करती है। सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाता है, निर्णय लेता है, उन्हें क्रियान्वित करता है और उनकी निगरानी करता है। इसके अतिरिक्त, सरकार कॉरपोरेट्स को किसी विशेष क्षेत्र या कार्यकलापों पर व्यय के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं करती है।

*****